

13/10/22 पत्रावली पेशा हुई। वकील आधीनी मय आधीनी
स्वयं अपनो मुक्ति मुल्काद को जरिये राजीनामा विद्वान
कर दिया गया है। इसलिये इस आवेदन को आगे
चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन
को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
इस आवेदन की शर्यवाही इसी स्तर पर समाप्त
की जाती है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक
13/09/22 को निरस्त किया जा रहा है। पत्रावली
फैसल बुफार वगैरह दस्तिल दफ्तर हो संख्या से
कम हो।

महायक कलक्टर
(SDO) सेइवा

